(Annexure - J)
63-64

संख्या : रैव0-बी0-एफ0(10)-419/2009
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
दिनांक शिमला--171002 2009

विषय :- जय भारती एजूकेशन ट्रस्ट, लोहरी द्वारा प्राईवेट स्कूल स्थापित करने हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति प्राप्त करने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके कार्यालय पत्र संख्या: एस0के0/ओ0के0(एलआर)118-5475, दिनांक 7-10-2009 जोकि मण्डलायुक्त, मण्डी को सम्बोधित है द्वारा प्रेषित उक्त ट्रस्ट के आवेदन प्रकरण के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज एक्ट, 1972 की धारा 118 की उप-धारा 2 के खण्ड (एच) तथा हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज रूल्ज, 1975 के नियम 38 ए के उप-नियम 3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये कम्पनी के पक्ष में भूमि खसरा संख्या: 524, 607, 525, 526, 527 व 647 किता-6 रक्बा तादादी 6-18 कनाल, स्थित मौजा मति टीहरा, तहसील व जिला हमीरपुर में निम्नलिखित शर्तों पर निजी स्कूल स्थापित करने हेतु क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. अनुमति इस पत्र के जारी होने से 180 दिन तक मान्य/वैध होगी ।
2. भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये 2 वर्षों की अवधि के अन्दर किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिये अनुमति दी गई है । यदि भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया गया तो उक्त भूमि सभी प्रकार से भारमुक्त होकर सरकार में निहित हो जायेगी ।
3. जमाबन्दी की टिप्पणी खण्ड में लाल स्याही से इन्द्राज किया जाये कि केयता भविष्य में सरकार से किसी भी प्रकार से भूमि आबंटन/लीज/अनुदान के लिये कृषक की परिभाषा में नहीं आयेगा ।
4. इस स्वीकृति के अन्तर्गत हस्तांतरित की जाने वाली भूमि का केयता कृषक कहलाने का अधिकारी नहीं होगा और ऐसा अकृषक व्यक्ति अकृषक ही रहेगा ।
5. हस्तांतरित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का स्टैम्प शुल्क नियमानुसार केता से लिया जाएगा।
6. इस विभाग के पत्र संख्या रैव0-बी0-एफ0(10)187/2003, दिनांक 29.10.2003 द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित दो वर्षों की समयावधि के भीतर इस विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

उप सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या : यथोपरि दिनांक शिमला-2 अक्तूबर, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. जय भारती एजूकेशन ट्रस्ट, बजरिया सचिव, जय भारती कम्पलेक्स लोहारीं, डा0 खियाह, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा हि0प्र0 को उनके पत्र संख्या:ई0डी0एन-एच (21)ए (1) निजि-संस्थान19/2008ईसी, दिनांक 29-10-2009 द्वारा उक्त संस्थान के पक्ष में जारी अतिवार्यता प्रमाण के संदर्भ में ।

Secretary
Jai Bharti Education Trust
Jai Bharti Complex, Loharin
Distt. Hamirpur (H.P.)-177020

उप सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।